

बिहार सरकार  
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञाप सं०-2/वि.1-48/2011-...../  
सेवा में,

पटना, दिनांक ...../2018

महालेखाकार (ले० एवं हक)  
बिहार, पटना।

विषय :- गांधी मैदान, पटना में एग्री बिहार-2018 के आयोजन के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति के निमित्त  
₹ 5,48,000/- (पांच लाख अड़तालिस हजार रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

- राशि का विकलन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में मांग संख्या-08 के अधीन बजट शीर्ष "2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-0101-कला और संस्कृति का संवर्द्धन विपत्र कोड-08-2205001020101 के अंतर्गत विषय शीर्ष 2002 कान्फ्रेंस, कार्यशाला सेमिनार में होगा।
- इस राशि की निकासी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से नीतू कुमारी नूतन को ₹ 40,000/- (चालीस हजार रुपये) मात्र, नालंदा संगीत कला विकास संस्थान को ₹ 35,000/- (पैंतीस हजार रुपये) मात्र, पूनम सिन्हा को ₹ 30,000/- (तीस हजार रुपये) मात्र, विनोद कुमार सिंह को ₹ 30,000/- (तीस हजार रुपये) मात्र, अमर आनन्द को ₹ 40,000/- (चालीस हजार रुपये) मात्र, राजीव रंजन सिंह को ₹ 30,000/- (तीस हजार रुपये) मात्र, संगम कला एवं प्रबंधन संस्थान को ₹ 35,000/- (पैंतीस हजार रुपये) मात्र, शैलेन्द्र कुमार 'राकेश' को ₹ 35,000/- (पैंतीस हजार रुपये) मात्र, नंदिता चक्रवर्ती को ₹ 40,000/- (चालीस हजार रुपये) मात्र, सत्येन्द्र कुमार को ₹ 40,000/- (चालीस हजार रुपये) मात्र, किरण कुमारी को ₹ 30,000/- (तीस हजार रुपये) मात्र, अरुण कुमार गौतम को ₹ 30,000/- (तीस हजार रुपये) मात्र, मनोरंजन ओझा को ₹ 40,000/- (चालीस हजार रुपये) मात्र, अमर कुमार पाण्डे को ₹ 30,000/- (तीस हजार रुपये) मात्र, नवरंगशाला को ₹ 35,000/- (पैंतीस हजार रुपये) मात्र, रंजीत कुमार को ₹ 16,000/- (सोलह हजार रुपये) मात्र, अर्चना कुमारी को ₹ 6,000/- (छः हजार रुपये) मात्र एवं जितेन्द्र कुमार सिन्हा को ₹ 6,000/- (छः हजार रुपये) मात्र का भुगतान किया जायेगा।
- यह स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं संकल्प संख्या-3758 दिनांक-31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में दी गयी है।
- राशि की स्वीकृति पर सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(मीना कुमारी)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक ...../

पटना, दिनांक ...../2018

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

(मीना कुमारी)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 61...../

पटना, दिनांक 18.05...../2018

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/अवर सचिव/निदेशक, (सांस्कृतिक कार्य)/उप निदेशक (कला एवं संस्कृति)/प्रशाखा पदा०-1 एवं 2/लेखाशाखा (दो प्रतियों में)/बजट सहायक/प्रबंधक, आई०टी०, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करके हेतु/सभी संबंधित कलाकारों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/5/18

(मीना कुमारी)

सरकार के उप सचिव।